

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश

1250, तुलसीनगर, भोपाल- 462003

फोन-0755-2556916 फैक्स-2552665

ईमेल- dpswbpl@nic.in

क्रमांक/2019/सा.सहा./ 258

भोपाल, दिनांक 26/02/2019

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3. समस्त आयुक्त नगर निगम, मध्यप्रदेश
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
5. समस्त संयुक्त/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद, मध्यप्रदेश
8. समस्त ग्राम पंचायत सचिव, मध्यप्रदेश।

विषय :- सरकार के वचन-पत्र की कण्डिका 22.1 के अनुसार पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि में वृद्धि के संबंध में।

संदर्भ :- शासन आदेश क्रमांक एफ 3-1/2019/26-2 दिनांक 13.02.2019

विषयांतर्गत संदर्भित शासन आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन के संदर्भित आदेश द्वारा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की वृद्धजनों, कल्याणियों, परित्यक्ताओं, अविवाहिताओं, दिव्यांगजनों इत्यादि के लिए संचालित सभी पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि की जाकर, प्रतिमाह रुपये 600/- (रुपये छः सौ मात्र) प्रति हितग्राही की गई है।

उपरोक्तानुसार प्रतिमाह रुपये 600/- (रुपये छः सौ मात्र) प्रति हितग्राही पेंशन की राशि मार्च 2019 से स्वीकृत की जाकर अप्रैल 2019 से वितरित की जावे।

विभाग द्वारा संचालित समस्त पेंशन योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को ही पेंशन का लाभ प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जाये। अपात्र को पेंशन का भुगतान होने की दशा में संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी की पूर्ण जबाबदेही होगी।

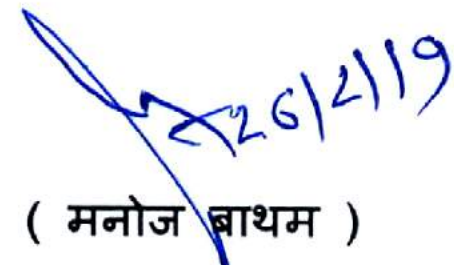
(कृष्ण गोपाल तिवारी)

संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, भोपाल, म.प्र.

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल।
2. स्टॉफ आफिसर मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल।
3. विशेष सहायक,माननीय मंत्री,सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,भोपाल।
4. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. मिशन संचालक, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्यप्रदेश।
9. कार्यपालक संचालक, लोक सेवा अभिकरण, भोपाल की ओर लोक सेवा प्रबंधन की वेबसाईट पर आवश्यक संशोधन हेतु।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. श्री सुनील जैन, तकनीकी संचालक, एनआईसी, मध्यप्रदेश की ओर विभागीय पेंशन पोर्टल पर आवश्यक संशोधन हेतु।

 26/2/19

(मनोज ब्राथम)

उप संचालक

वास्ते संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 3-1/2019/26-2

भोपाल दिनांक 13/02/2019

प्रति,

संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय,
भोपाल।

विषय:- सरकार के वचन-पत्र की कण्डिका 22.1 के अनुसार पेंशन योजनाओं की पेंशन रशि में वृद्धि के संबंध में

—0—

भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा वृद्धों, कल्याणियों, परित्यक्ताओं, अविवाहिताओं, दिव्यांगजनों के लिए संचालित सभी पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि की जाकर प्रतिमाह रुपये 600/- (रुपये छः सौ मात्र) प्रति हितग्राही की जाती है।

उपरोक्तानुसार रुपये 600/- (रुपये छः सौ मात्र) प्रतिमाह पेंशन की राशि मार्च 2019 से स्वीकृत की जाकर अप्रैल 2019 से वितरित की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक शाह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
भोपाल दिनांक 13/02/2019

पृ0 क्रं0-एफ 3-1/2019/26-2

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, कार्यालय मध्यप्रदेश।
3. विशेष सहायक, मा0 मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग